राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः–एफ 7(139)/परि/नियम/मु./2007/पार्ट 1/19380 जयपुर, दिनांकः– 21.08.2023

कार्यालय आदेश 20/2023

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.04.2023 को अधिसूचना जी.एस.आर 12 जारी कर राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 5.19(4A)(x) जोडा गया। उक्त नियम में उल्लेखित प्रावधानानुसार बाल वाहिनी वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की रीति (Manner) व संख्या (Number) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

1. प्रत्येक बाल वाहिनी में लाईव कवरेज/रिकॉर्डिंग के लिए शिक्षण संस्था के वाहनों मे सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
2. बाल वाहिनी में सीसीटीवी कैमरे इस रीति से लगाए जाएंगे जिससे वाहन के अन्दर का पूर्ण दृश्य दिखाई दे।
3. चालक को अपवर्जित करते हुए 9 से अधिक सीट क्षमता वाली शिक्षा संस्था बस में कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 9 से कम सीट क्षमता वाले वाहनों में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा।
4. चालक को अपवर्जित करते हुए 9 से अधिक सीट क्षमता वाली शिक्षा संस्था बस में छात्रों के चढ़ने व उतरने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गेट को भी सीसीटीवी कैमरा द्वारा कवर किया जाएगा।
5. बाल वाहिनी स्वामी/वाहन चालक द्वारा कैमरे हमेशा चालू हालत में रखना आवश्यक होगा। कैमरे बंद पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
6. बाल वाहिनी वाहनों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे 4 जी तकनीक युक्त होंगे जिससे कैमरों का लाईव फीड 4 जी इन्टरनेट के माध्यम से शिक्षा संस्था द्वारा देखा जाएगा तथा उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी।
7. बाल वाहिनी वाहनों मे लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरा हेतु न्यूनतम तकनीकी विनिर्देश (टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन) निम्नानुसार होंगे:–

   Camera Quality: 2 Megapixel

   Video Resolution: High Definition (720p)

   Connectivity Protocol: 4G Cellular, Sim Based Camera

   Mount: Wall Mount / Ceiling Mount

   Storage: 64 to 256 GB
8. शिक्षा संस्था द्वारा नामित यातायात प्रभारी द्वारा बाल वाहिनी वाहनों मे लगे सीसीटीवी की लाइव कवरेज नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी।
9. शिक्षा संस्था द्वारा सीसीटीवी कवरेज की कम से कम तीन माह की रिकॉर्डिंग संधारित किया जाना आवश्यक होगा।

Signature valid
Digitally signed by Kanhaiya Lal Swami
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.21 13:23:49 IST
Reason: Approved

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

RajKaj Ref No. : 4550893

क्रमांकः—एफ 7(139)/परि/नियम/मु./2007/पार्ट 1/15381-87 जयपुर, दिनांकः— 21.08.2023

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन एवं सडक सुरक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा
4. समस्त मुख्यालय अधिकारी ।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा

Signature valid

Digitally signed by Kanhaiya Lal Swami
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.21 13:23:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4550893